न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –333/2022

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/438

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स**
प्रकाश दत्तक पुत्र शंकरलाल आयु 13 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील रियां बड़ी जिला नागौर अवयस्क जरिये वाद मित्र राधेश्याम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी गेमलियावास तहसील रियां बडी जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियां बड़ी जिला नागौर (राज.) 2. गीतादेवी पत्नी स्व. शंकरलाल जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील रियां बडी जिला नागौर। 3. शोभा पत्नी देदाराम जाति जाट निवासी धनेरिया लील तहसील रियां बडी जिला नागौर 4. कंचन पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी धनेरिया लील तहसील रियां बडी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. **अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडियासर।**
2. **रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनियां ।**
3. **रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।**

:: निर्णय ::

दिनांक :–24.01.2024

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम डूकिया का म्यूटेशन संख्या 442 जो तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश जेर अपील दिनांक 30.05.2017 अपीलांट को बिना सूचित किये बिना सुनवाई का अवसर दिये, बाले बाले ही रेस्पोडेन्ट गीतादेवी ने अपने हक में दर्ज करवाया था, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही हो सकी। अपीलांट ने दिनांक 06.01.2022 को जानकारी होने पर बेचाननामा दिनांक 09.01.2022 की नकले प्राप्त करने के बाद अपीलांट ने उक्त आदेश की जानकारी नकल दिनांक 04.08.2022 को लेने पर हुई थी, चूंकि अपीलांट प्रकाश अवयस्क है और वह अपने हित व अधिकार को लेकर वाद, अपील आदि पेश करने में असक्षम हैं, इसलिए पूर्व में उसके द्वारा उपरोक्त कारणोवश अपील पेश नहीं हो सकी। अपीलांट अवयस्क होने से अब अपने वाद मित्र के जरिये उक्त म्यूटेशन आदेश को अपील में चुनौती दे रहा हैं, जो नकल प्राप्ति की दिनांक 04.08.2022 के बाद अपील प्रस्तुत की गई हैं। अवयस्क के हितो को देखते हुए उक्त अवैधानिक म्यूटेशन के संबंध में प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट की जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील रेस्पो0संख्या 2 से 4 ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने श्रीमान् जिला न्यायाधीश मेड़ता के समक्ष वाद संख्या–9/2022 बाबत स्व0 शंकरलाल का गोद पुत्र होने की घोषणा के संबंध में पेश किया था। उक्त वाद पत्र के पैरा संख्या–14 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उक्त नामान्तरकरण और विक्रय की जानकारी उसे दिनांक 07.01.2022 को हो गई थी व इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर,रियांबड़ी में प्रकरण संख्या – 21/2022 घोषणा खातेदारी का वाद दिनांक 18.01.2022 को पेश किया है। तब अपीलान्ट ने उक्त वाद के साथ वादग्रस्त भूमि की खतौनी की नकले पेश की थी तथा उक्त वादपत्र के पैरा संख्या–14 में भी म्यूटेशन जैर अपील व विक्रय की जानकारी 06.01.2022 व 07.01.2022 को होने का उल्लेख किया है। इसलिए अपीलान्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसे जानकारी दिनांक 04.08.2022 को हुई हो। अपीलांट को अपील पेश करने में हुई देरी के प्रत्येक दिवस के कारणों को अपील प्रार्थना–पत्र में दर्शाना होगा परन्तु अपीलांट ने ऐसे कोई कारण पेश नहीं किये हैं,इसलिए इस प्रकार अधिविलम्ब को कन्डोन नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपीलान्ट की अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर हैं तथा अपील को मयाद में लेने के कोई प्रर्याप्त कारण नहीं दर्शाये, इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। चूंकि अपील नाबालिग के हितों के मध्यनजर रखते हुवे प्रस्तुत हुई हैं,इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः न्याय हित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट प्रकाश अवयस्क है। अपीलांट के दादा बालूरामजी थे बालूरामजी के दो पुत्रियां सुगनाई व सुप्यारी है और एक पुत्र शंकरलालजी थे। बालूरामजी का देहान्त दिनांक 22.08.2008 को हो गया। बालूरामजी के जीवनकाल में बालुरामजी का इकलौता पुत्र शंकरलाल व पुत्री सुगनाई के कोई संतान नहीं हुई थी। अपीलांट के नैसर्गिक पिता राधेश्याम व माता सुप्यारी के संसर्ग से अपीलांट का जन्म हुआ। शंकरलालजी के कोई संतान नहीं होने से उन्होंने अपीलांट को गोद पुत्र के रूप में लेने के लिए अपीलांट के माता पिता के समक्ष प्रस्ताव रखा। जिस पर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा कार्तिक सुदी 1 संवत 2071 दिनांक 24.10.2014 यानि दीपावली के रामा स्यामा के शुभ दिन गांव और समाज के लोगों की उपस्थिति में अपीलांट को शंकरलाल जी व रेस्पोडेंट गीता देवी की गोद में बिठाया तथा शंकरलालजी व गीतादेवी ने अपीलांट को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा साफा बंधवाकर तिलक लगाया और गोद देने व लेने की रस्म रीति रिवाज प्रथा अनुसार सम्पन्न हुई। इस शुभ अवसर पर मंगल गीत गाये गये और गुड़ बांटा गया। इस तिथि से अपीलांट शंकरलालजी व रेस्पोडेंट गीतादेवी का दतक पुत्र हो गया। जिसके बाद से अपीलांट अपने दतक पिता शंकरलालजी व माता गीतादेवी के पास ही पुत्र के रूप मे रहना शुरु कर दिया और उन्होंने ही अपीलांट का लालन पालन किया। जिसके बाद अपीलांट के पिता शंकरलालजी का वर्ष 2016 में देहान्त हो गया। जिसके बाद अपीलांट रेस्पोडेंट गीतादेवी के पास ही रह रहा है।

शंकरलालजी के देहान्त के बाद रेस्पोडेंट के भानजे जस्साराम ने रेस्पोडेंट संख्या एक गीता पर अपना प्रभाव दिखाकर अपीलांट के पिता की खातेदारी की भूमि व अन्य अचल सम्पतियों से अपीलांट का नाम हटवाकर उसको उसके हक हिस्से अधिकारों से वंचित करने के लिए योजना बनायी जाने लगी जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी क्योंकि अपीलांट आज भी अवयस्क है और अपने

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

हितों के लिए सोचने समझने में असमर्थ है। अपीलांट के मासूम बालक और अवयस्क होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट गीता देवी ने तहसीलदार कार्यालय रियांबडी के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते हुए और अपीलांट का शंकरलालजी का पुत्र होने के तथ्यों को छिपाते हुए ग्राम डूकिया में स्थित खेत खसरा संख्या 525 रकबा 1.84 हैक्टेयर मे अपीलांट के हक हिस्से और खातेदारी की भूमि से अपीलांट को वंचित करने की नीयत से गलत व अवैध प्रकार से म्युटेशन संख्या 442 दिनांक 30.05.2017 को रेस्पोडेंट संख्या एक गीता देवी ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि शंकरलालजी के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी की भूमि में उनके स्थान पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिस उनके पुत्र अपीलांट व पत्नी रेस्पोडेंट गीता दोनो का नाम दर्ज होना चाहिये परन्तु रेस्पोडेंट गीता ने अपीलांट के बालक होने का फायदा उठाकर उपरोक्त भूमि का म्युटेशन जैर अपील के जरिये भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली और उसकी जानकारी अपीलांट व अन्य लोगों को नहीं होने दी।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रियांबडी के द्वारा आलौच्य म्युटेशन आदेश स्वीकृत करते समय हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व अन्य कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। क्योंकि तहसीलदार, रियांबडी के द्वारा आलौच्य आदेश स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार शंकरलालजी के देहान्त होने के बाद उनके विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की तथा पटवारी ने भी इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्तियों, परिवारजनों रिश्तेदारों व पड़ौसियों से कोई पुछताछ तक नहीं की और केवल रेस्पोडेंट गीता देवी के कहने मात्र से पूरी भूमि की खातेदारी के लिए म्युटेशन उसके अकेले के नाम स्वीकृत करके अपीलांट को उसके हक हिस्से की खातदारी अधिकारों से वंचित कर दिया है। तथा तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के प्रावधानों लागू नहीं किया हैं। अपीलांट के पिता नाम आधार कार्ड/राशन कार्ड/भामाशाह कार्ड में शंकरराम दर्ज हैं,इसलिए इन दस्तावेजों से अपीलांट स्व0 शंकरराम का गोदपुत्र साबित हैं।

रेस्पोडेन्ट को इस बात की भली भांति जानकारी रहीं है कि मौके पर विवादित भूमि पर कब्जा बतौर विधिक उतराधिकारी व खातेदार के अपीलांट का ही है फिर भी अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने की नियत से अपने अकेले के नाम से बाले बाले गलत व अवैध प्रकार से म्यूटेशन आदेश जेर अपील स्वीकृत करवाकर कागजी बेचान रेस्पोडेन्ट कंचन व शोभा के नाम किया है जबकि मौके पर कंचन व शोभा के पास विवादित भूमि का कब्जा नही हैं, क्योंकि मौके पर 1/2 हिस्से की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है, और मौके पर रेस्पोडेन्ट गीतादेवी ने रेस्पोडेट कंचन व शोभा को भौतिक कब्जा कभी भी सुपूर्द नही किया है। उपरोक्त विक्रय विलेख केवलमात्र कागजी बेचान हैं, जिनका मकसद केवलमात्र अवयस्क अपीलांट के हितो के विपरीत जाकर कृत्य करके अपीलांट को क्षति कारित करना है। मौके पर अपीलांट का शांतिपूर्वक व निर्बाध कब्जा 1/2 हिस्से पर चला आ रहा है। जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त म्यूटेशन आदेश जेर अपील खारिज होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट गीतादेवी अपने दतक अवयस्क पुत्र के हितों व कल्याण के प्रति कभी भी चिन्तित नही रही है और अवयस्क के हितों व अधिकारो को समाप्त करने और उसको बेदखल करने के लिए प्रयासरत रही है। रेस्पोडेन्ट गीतादेवी के कृत्य अवयस्क अपीलांट के हितो के विपरीत ही रहे है और अपीलांट को हर प्रकार से नुकसान कारित करने और उसको उसके सम्पति के अधिकारो से वंचित करने के लिए उपरोक्त प्रकार से गलत व अवैध म्यूटेशन अपने अकेले के नाम दर्ज करवाकर भूमि को आगे कागजी बेचान किया हैं, जिससे रेस्पोडेन्ट का हित अपीलांट का हितो के विपरीत होने से यह अपील अपीलांट के न्याय मित्र के जरिये प्रस्तुत की जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार रियां बडी जिला नागौर, द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 442 दिनांक 30.05.2017 जेर अपील खारिज करने एवं अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांटस हो दिलाया जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया ।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 एवं नामान्तरण खोलने के संम्बन्ध में राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण दिशा –निर्देश कमांक / राम / भू.अ. / जी–3 / विविध / 1–241 दिनांक 02.01.2006 की प्रति पेश की हैं।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का दौराने बहस तर्क हैं कि ग्राम डूंकिया की आराजी खसरा नम्बर 525 की खातेदारी शंकरराम पुत्र बालूराम के नाम दर्ज थी। खातेदार शंकरराम फौत हो जाने पर उनके विधिक एक मात्र उत्तराधिकारी उनकी पत्नी गीतादेवी थी। इसलिए पटवारी हल्का द्वारा उनका फौतेदगी नामान्तरकरण गीतादेवी के नाम दर्ज कर वास्ते जांच एवं स्वीकृति हेतु पेश किया तथा तहसीलदार,रियांबड़ी ने इस नामान्तरकरण को स्वीकृत किया हैं,जो बाद जांच विधिवत स्वीकृत किया गया हैं। अपीलांट स्व0 शंकरराम का गोद पुत्र बनकर आया है परन्तु अपीलांट को न तो शंकरराम ने अपने जीवनकाल में गोद लिया हैं एवं न उनकी पत्नी द्वारा उसे गोद पुत्र कभी स्वीकार किया हैं। जब अपीलांट उनका गोद पुत्र हैं ही नहीं तथा न ही उनके पक्ष में कोई रजिस्टर्ड गोदनामा हैं एवं न ही न्यायालय द्वारा गोद पुत्र घोषित हैं,इसलिए शंकरराम की प्रापर्टी में उसका कोई हितनिहत हैं। इसलिए तहसीलदार जी ने जो नामान्तरकरण स्वीकार किया हैं वह सही स्वीकार किया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी तर्क हैं कि खसरा नम्बर 525 की खातेदार गीतादेवी द्वारा इस भूमि का विकय जरिऐ रजिस्टर्ड बेचाननामा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पक्ष में कर दिया हैं,इसलिए जब तक इस विकय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवाया लिया जाता हैं तब तक इस अपील के माध्यम से इन विकय पत्रों को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन रहा कि जहां तक गोद पुत्र घोषित होने का प्रश्न हैं अपीलांट इस बाबत् सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। वर्तमान में नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही के माध्यम से अपीलांट उक्तानुसार कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में RRT 2014-15(Supp.) पेज 467, RRT 2012(1) पेज 374 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि उक्त नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं उनके द्वारा पेश किये माननीय न्यायालय के दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती हैं कि खातेदार शंकरराम फौत होने पर पटवारी हल्का,भंवाल द्वारा ग्राम डूकिया की आराजी खसरा नम्बर 525 के सम्बन्ध में विरासत नामान्तरकरण संख्या 442 दर्ज कर यह रिपोर्ट अंकित की हैं कि खातेदार शंकरराम पुत्र बालूराम का निधन होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान के नाम,जो कॉलम संख्या 9 के अनुसार हैं,के नाम नामान्तरकरण भरकर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश हैं। कॉलम संख्या 9 में गीतादेवी पत्नी स्व0 शंकरलाल कौम जाट सा0 लाडवा खातेदार दर्ज किया हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक,बड़ायली ने दिनांक 29.05.17 को अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि मजमे आम जांच की इन्द्राज सही हैं। तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को स्वीकार का आदेश पारित किया हैं। उक्त नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2016 में स्वीकार किया गया हैं,जो मजमें आम में स्वीकार किया गया हैं। उक्त रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि खातेदार शंकरराम फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी के नाम यह नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। इस प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट का यह तर्क हैं कि अपीलांट स्व0 शंकरराम का गोद पुत्र होने से इस नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम भी दर्ज होना चाहिए। परन्तु अपीलांट द्वारा पत्रावली में स्व0 शंकरराम का विधिक गोद पुत्र अपीलांट होने का कोई

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। इस प्रकार जब अपीलांट स्व0 शंकराराम का गोद पुत्र होना साबित ही नहीं था तो फिर उसका नाम इस नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। जहां तक पूर्ण जांच का प्रश्न हैं यह नामान्तरकरण शिविर मजमे आम में भरा जाकर स्वीकृत किया गया हैं,इसलिए इस प्रकार के प्रकरण में ओर कोई अन्य जॉच बकाया नहीं रहती हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नामान्तरकरण में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया हैं,जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 442 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 यथावत् रखा जाता हैं। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर